

रजपत्रात्मक रूप से कालसूचक के रूप में जारी किया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश नं. 188

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उ-प्र. 160/2015

तारीख
हुकम

दावा 188

पञ्चवली राजा बलदेव कदामत के साथ जोड़े जाये
 हैं वेम हुरी वारी एवं उठिबदी मया के साथ जोड़े
 उपलब्ध हुरे । उपपक्षकारान को नामांकित
 की गई मदी रूपले बादको विद्वा कले हुरे
 वेजा दोलेपर विद्वा शोबेदन पर निष्पत्ति
 प्रथम में शरकर पेश किया । प्रथम में कंठि
 है कि लोककदामत सितावनासि पुरिह दोस्य उरनी
 नामा कदामत चाहो है इनामले कद को विद्वा
 कले हुरे विद्वा शोबेदन पर पेश किया है जो
 आप हुरे में विद्वा प्रार्थना पर खीकर
 किया जाया है । विद्वा प्रार्थना पर खीकर
 किया जाने के फलस्वरूप वारी का बाद
 शबादिज किया जाया है । प्रथम फौजदारी
 मुकदमा दोस्य पक्ष से का है वहा
 बाद तबपिल प्रविष्ट लेख शरकर है ।
 निरतिप शरकर लोककदामत के साथ जोड़े
 जाये हैं । निरवसरत नामर (मुकदमा)
 मया ।

अ. गे. अमराम

अ. गे. अमराम

अ. गे. रामाण

अ. गे. पणु

अ. गे. अमराम

कै. मा. 18

के. नि.

दिल्ली हाईकोर्ट

साक्षर
 सहायक कलेक्टर
 दौसा